12.9.22

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा पत्रावली की आदेशिका पर उनके पक्षकारान की ओर से अपील आगे चलाये जाने अथवा अपील में कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में कोई हिदायत नहीं दिया जाना जाहिर किया और इस बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है। अपीलान्टस का नियत दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होना अपीलान्ट की ओर से अपने वकील को विचाराधीन अपील में विधिवत पैरवी किये जाने हेतु कोई हिदायत नहीं देना उनकी इस अपील को आगे नहीं चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं अपीलान्टस अथवा उनके वकील की ओर से अपील में विधिवत पैरवी किये जाने की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं हो रही है तो इस अपील को आगे चलाये जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। इस बाबत स्वय वकील अपीलान्ट ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर भी अंकित किये है। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर